Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर रावतभाटा** मुकाम **रावतभाटा**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार **बनाम** **भैरूलाल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना–पत्र** नं0 **039** सन् **2025**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.04.2026	पत्रावली कैम्प कॉर्ट गंगरार में पेश हुई। पैरोकार सरकार तहसीलदार गंगरार स्वयं हाजिर। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तहसीलदार गंगरार द्वारा मौजा सोनियाणा तहसील गंगरार की जमाबंदी संवत् 2076 के खाता संख्या 1238 में वर्णित आराजी संख्या 210/3927 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म भूमि सडक जो कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 के नाम पर गैर–खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज उक्त आवंटन से व्यथित होकर तहसीलदार गंगरार ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत हस्तगत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि विचाराधीन होकर जैरकार है। इसी आशय का तहसीलदार गंगरार द्वारा एक पूर्व प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय में प्रकरण संख्या 004/2025 पर दर्ज होकर जैरकार है व एक ही आराजीयात के संबंध में पृथक–पृथक 2 प्रकरण न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर होकर जैरकार है, ऐसी स्थिति में हस्तगत पश्चात्वर्ती प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः मौजा सोनियाणा तहसील गंगरार की जमाबंदी संवत् 2076 की आराजी संख्या 210/3927 रकबा 0.18 हैक्टेयर के संबंध में पूर्व से प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 दर्ज रजिस्टर होकर जैरकार होने से हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। –ह0– **(विनोद कुमार मल्होत्रा)** अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा 13.04.2026 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	